सं॰A-12012/2/2021-स्थापना-घ
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
(स्थापना घ: समूह 'घ', आर एन्ड आई अनुभाग)

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 15.02.2023,

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय :- अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए इस विभाग की बिन्दु-मान व्यवस्था – के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि DoPT ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं॰ 14014/1/2022-स्थापना 'घ' दिनांक 02.08.2022 के माध्यम से अनुकंपा आधार पर नियुक्ति से संबन्धित मास्टर सर्कुलर जारी किया है । उक्त स्कीम/ सर्कुलर का उद्देश्य ऐसे सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार जन को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति देना है , जिनकी मृत्यु सेवा- काल के दौरान हुई हो या जिनहे मेडिकल आधार पर सेवा-निवृत किया गया हो, और जिसके चलते उनका परिवार गरीबी और आजीविका के साधनों के बिना जीवन – यापन कर रहा है ।

2. एमटीएस के पद पर अनुकंपा आधार पर नियुक्ति से संबन्धित मामलों में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता लाने के उद्देश्य से इस विभाग (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) के सक्षम प्राधिकारी ने अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए एक बिन्दु-मान व्यवस्था बनाई है । इसी बिंदु-मान व्यवस्था के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा अनुकंपा आधार पर एमटीएस के पद पर नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदनों का भारांश निर्धारित किया जाएगा । उक्त बिंदुमान व्यवस्था **अनुलग्नक-1** के रूप में संलग्न है ।

<u>**संलग्नक- यथोपरि**</u>

15/02/2023

(संतोष प्रसाद)
अवरसचिव, भारतसरकार

प्रति,

1. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का ई-नोटिस बोर्ड ।

2. NIC, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, उक्त कार्यालय ज्ञापन को अनुलग्नक-1 के साथ इस विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।

अनुबंध- I

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (विशेष) में मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद पर अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए बिंदु-मान पर आधारित विभिन्न विशिष्टताओं के लिए अंकों के आवंटन हेतु तालिका।

***

1. पीपीओ के अनुसार प्रति माह मूल प्रारंभिक पारिवारिक पेंशन

(15 अंक)

मूल पारिवारिक पेंशन के लिए स्लैब (रुपये में)				
क्र.सं.	**01.01.2006** के पूर्व मृत कर्मचारियों के मामलों में	दिनांक **01.01.2006** से **31.12.2015** तक मृत कर्मचारियों के मामलों में	01.01.2016 और उसके बाद के मृत कर्मचारियों के मामलों में	मेरिट/ वेटेज अंक
1.	1300 तक	3500 तक	9,000 तक	15
2.	1301-1500	3501-4500	9,001 - 11,500	14
3.	1501-1700	4501-5500	11,501 - 14,000	13
4.	1701-1900	5501-6500	14,001 - 16,500	12
5.	1901-2100	6501-7500	16,501 - 19,000	1 1
6.	2101-2300	7501-8500	19,001 - 21,500	10
7.	2301-2500	8501-9500	21,501 - 24,000	09
8.	2501 और अधिक	9501 और अधिक	24,001 - 26,500	08
9.	--	--	26,501 - 29,000	07
10.	--	--	29,001 - 31,500	06
1 1.	--	--	31,501 और अधिक	05

2. सेवांत लाभ अर्थात सरकारी सेवक की मृत्यु पर परिवार को प्राप्त होने वाली एकमुश्त राशि (अर्थात डीसीआर ग्रेच्युटी, जीपीएफ/एनपीएस के तहत एकमुश्त राशि, एलआईसी/पीएलआई, सीजीईजीआईएस, लीव एनकैशमेंट आदि)

(10 अंक)

सेवांत लाभ के लिए स्लैब (रुपये में)				
क्र.सं.	**01.01.2006 के पूर्व के मामलों के लिए**	**01.01.2006 से 31.12.2015 तक के मामलों के लिए**	**01.01.2016 और उसके बाद के मामलों के लिए**	मेरिट/ वेटेज अंक
1.	1,00,000 तक	4,00,000 तक	10,00,000 तक	10
2.	1,00,001 - 1,20,000	4,00,001 - 4,75,000	10,00,001 - 11,87,500	09
3.	1,20,001 - 1,40,000	4,75,001 - 5,50,000	11,87,501 - 13,75,000	08
4.	1,40,001 - 1,60,000	5,50,001 - 6,25,000	13,75,001 - 15,62,500	07
5.	1,60,001 - 1,80,000	6,25,001 - 7,00,000	15,62,501 - 17,50,000	06
6.	1,80,001 - 2,00,000	7,00,001 - 7,75,000	17,50,001 - 19,37,500	05
7.	2,00,001 - 2,20,000	7,75,001 - 8,50,000	19,37,501 - 21,25,000	04
8.	2,20,001 - 2,40,000	8,50,001 - 9,25,000	21,25,001 - 23,12,500	03
9.	2,40,001 - 2,60,000	9,25,001–10,00,000	23,12,501 - 25,00,000	02
10.	2,60,001 - 3,00,000	10,00,001–10,75,000	25,00,001 - 26,87,500	01
1 1.	3,00,001 और अधिक	10,75,001 और अधिक	26,87,501 और अधिक	00

15/2/2023

अनुबंध- I

3. परिवार के कमाने वाले सदस्यों की वार्षिक आय (पारिवारिक पेंशन के अलावा) (बैठक आयोजित होने के महीने की पहली तारीख से 90 दिनों से पहले अद्यतन नहीं किया गया हो)

(3 अंक)

क्र.सं.	वार्षिक आय (रुपये में)	मेरिट/ वेटेज अंक
1.	0 - 50,000	03
2.	50,000 - 1,00,000	02
3.	1,00,001 - 2,00,000	01
4.	2,00,001 और अधिक	00

4. वित्तीय संस्थानों और पंजीकृत सोसायटियों से मृत सरकारी सेवक के ऋण और देनदारियां (दस्तावेजी प्रमाण के साथ) (बैठक आयोजित होने के महीने की पहली तारीख से 90 दिनों से पहले अद्यतन नहीं किया गया हो)

(2 अंक)

क्र.सं.	ऋण/देयताओं की राशि (रु. में)	मेरिट/ वेटेज अंक
1.	1,00,000 तक	00
2.	1,00,001 - 5,00,000	01
3.	5,00,001 और अधिक	02

5. मृतक सरकारी सेवक के परिवार के सदस्यों की चल + अचल संपत्ति (बैठक आयोजित होने के महीने की पहली तारीख से 90 दिनों से पहले अद्यतन नहीं किया गया हो)

(5 अंक)

क्र.सं.	विवरण	मेरिट/ वेटेज अंक
1.	10,00,000/- रुपये तक मूल्य की चल और अचल संपत्ति।	05
2.	10,00,001/- रुपये से 15,00,000/-रुपये तक मूल्य की चल और अचल संपत्ति।	04
3.	15,00,001/- रुपये से 20,00,000/-रुपये तक मूल्य की चल और अचल संपत्ति।	03
4.	20,00,001/- रुपये से 25,00,000/-रुपये तक मूल्य की चल और अचल संपत्ति।	02
5.	25,00,001/- रुपये से 30,00,000/-रुपये तक मूल्य की चल और अचल संपत्ति।	01
6.	30,00,001/- रुपये और अधिक मूल्य की चल और अचल संपत्ति।	00

6. मृत सरकारी सेवक का शेष सेवाकाल

(10 अंक)

मृतक का शेष सेवाकाल	मेरिट/ वेटेज अंक	मृतक का शेष सेवाकाल	मेरिट/ वेटेज अंक
3 वर्ष तक	01	18 वर्ष तक	06
6 वर्ष तक	02	21 वर्ष तक	07
9 वर्ष तक	03	24 वर्ष तक	08
12 वर्ष तक	04	27 वर्ष तक	09
15 वर्ष तक	05	30 वर्ष तक	10

15/2/2023

अनुबंध- I

7. मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की संख्या (बैठक आयोजित होने के महीने की पहली तारीख से 90 दिनों से पहले अद्यतन नहीं किया गया हो)

(10 अंक)

क्र.सं.	मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की संख्या	मेरिट/ वेटेज अंक
क	2 तक	03
ख	3	05
ग	4 और अधिक	07
	यदि मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के सदस्यों में से कोई 40% या उससे अधिक की शारीरिक या मानसिक विकलांगता से ग्रस्त है (अंकों का दावा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र आवश्यक है)	**03** (उपरोक्त 3 श्रेणियों अर्थात 'क', 'ख', 'ग' के अलावा अतिरिक्त अंक)

8. मृत सरकारी सेवक के आश्रित अवयस्क बच्चों की संख्या (बैठक आयोजित होने के महीने की पहली तारीख से 90 दिनों से पहले अद्यतन नहीं किया गया हो)

(10 अंक)

क्र.सं.	अवयस्क (18 वर्ष से कम) बच्चों की संख्या	मेरिट/ वेटेज अंक
1.	01	05
2.	02 और अधिक	10

9. मृत सरकारी सेवक की अविवाहित पुत्रियों की संख्या (14 वर्ष या उससे अधिक आयु की) (बैठक आयोजित होने के महीने की पहली तारीख से 90 दिनों से पहले अद्यतन नहीं किया गया हो)

(15 अंक)

क्र.सं.	मृत सरकारी सेवक की अविवाहित पुत्रियों की संख्या	मेरिट/ वेटेज अंक
1.	01	08
2.	02 और अधिक	15

10. क्या मृत सरकारी सेवक के परिवार में कोई वयस्क पुरुष (18 वर्ष या उससे अधिक) उपलब्ध है (बैठक आयोजित होने के महीने की पहली तारीख से 90 दिनों से पहले अद्यतन नहीं किया गया हो)

(10 अंक)

क्र.सं.	पुरुष वयस्क (18 वर्ष या उससे अधिक) परिवार के सदस्यों की संख्या	मेरिट/ वेटेज अंक
1.	शून्य	10
2.	01 और अधिक	00
	यदि परिवार के सभी वयस्क पुरुष सदस्यों की शारीरिक या मानसिक विकलांगता 40% या उससे अधिक है	10

अनुबंध- I

11. सरकारी सेवक की मृत्यु के बाद व्यतीत हुए वर्षों की संख्या (उस माह की पहली तारीख को जिसमें अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदनों पर विचार करने के लिए बैठक आयोजित की जाती है)

(10 अंक)

क्र.सं.	सरकारी सेवक की मृत्यु के बाद व्यतीत हुए वर्षों की संख्या	मेरिट/ वेटेज अंक
1.	0 वर्ष - 2 वर्ष से कम	10
2.	2 वर्ष - 5 वर्ष से कम	5
3.	5 वर्ष - 8 वर्ष से कम	3
4.	8 वर्ष - 10 वर्ष से कम	1
5.	10 वर्ष या उससे अधिक	0

12. उपरोक्त के अतिरिक्त, अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले मृत कर्मचारी के परिवार के आश्रित सदस्य को निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुग्रह अंक के रूप में अतिरिक्त अंक प्राप्त होंगे:

क्र.सं.	अतिरिक्त ग्रेस अंक के लिए परिस्थितियाँ	अंक
1.	कर्मचारी और उसके पति/ पत्नी (अर्थात् दोनों माता-पिता) की मृत्यु हो जाने की स्थिति में	20
2.	ऐसे मामलों में जहां मृतक अधिकारी की पत्नी ने अपने लिए अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन किया हो	15

13. उपरोक्त मापदंडों को लागू करते समय, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि कुछ अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होते हैं और ऐसे अभ्यर्थियों की मैरिट तय करना मुश्किल होता है, तो ऐसे मामलों में, टाई-ब्रेकिंग फैक्टर को निम्नानुसार निर्धारित किया जा सकता है:-

i) प्रति आश्रित उपलब्ध आय अर्थात उपरोक्त बिंदु संख्या 1, 2 और 3 (पेंशन-वार्षिक, कुल अंतिम लाभ और कमाने वाले सदस्यों की वार्षिक आय) में उल्लिखित पहले तीन वित्तीय मापदंडों के कुल योग को आश्रितों की कुल संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त राशि । उन आवेदकों की उच्च रैंकिंग होगी जिन आवेदकों का स्कोर में अंक बराबर थे और उक्त परिणाम में प्रति आश्रित उपलब्ध आय कम है ।

ii) प्रति आश्रित उपलब्ध आय के कारक को लागू करने के बाद भी टाई होने की स्थिति में सरकारी सेवक की बची हुई सेवा पर विचार किया जा सकता है। अधिक सेवा काल बचे सरकारी सेवकों से संबंधित आवेदकों को कम सेवा काल बचे सरकारी सेवकों से संबंधित आवेदकों की तुलना में वरीयता दी जाएगी। फिर भी टाई होने की स्थिति में, अगला कारक शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग (40% या अधिक) आश्रितों और अविवाहित पुत्रियों की संख्या हो सकती है। फिर भी टाई होने की स्थिति में, अगला कारक आवेदक की आयु हो सकती है, जिसमें बड़े आवेदक को वरीयता दी जाती है।

—x—